

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/2008/पार्ट-II

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जोधपुर।

29 MAR 2010

विषय: पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मिकों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक ईजीएस/संस्था/09-10/11096 दिनांक 09.02.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर में संविदा में नियुक्ति में भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा निर्देश द्वारा प्रदत्त आरक्षण (एससी,एसटी, ओबीसी महिला/पुरुष) का यथावत पालन करते हुए पालन करे।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

प्रतिलिपि:- जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, (जोधपुर को छोड़कर) समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)